न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
<u>उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी</u>
<u>B.P. No.-348/2026</u>
प्रिंस पाण्डेय उर्फ बाबा बनाम बिहार सरकार
[गोरेयाकोठी थाना कांड सं0 15/2023]
<u>आदेश</u>

<u>22.04.2026</u> आवेदक/अभियुक्त **प्रिंस पाण्डेय उर्फ बाबा पे0 सवलिया पाण्डेय** जो इस मामले में दिनांक **05.12.2025** से न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन सं0 348/2026, गोरेयाकोठी थाना कांड सं0 15/2023, अंतर्गत धारा 392 भा0द0वि0 पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता श्री विकाश कुमार पाण्डेय एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन है कि दिनांक 19.01.2023 को समय करीब 19:00 बजे ऑफिस के कार्य से पटना से सिवान जरूरी कागजात लेकर अपने मोटर साईकिल अपाचे से आ रहे थे। जैसे ही गोरेयाकोठी थाना अंतर्गत अज्ञात मनफोरा के पास पहुंचे थे कि पीछे से एक मोटर साईकिल पर तीन सवार अज्ञात व्यक्ति आए और आगे से गाली देते हुए रोक दिए। गाड़ी रूकते ही सूचक की मोटर साईकिल का चाभी एक व्यक्ति ने खिंच लिया और दूसरा व्यक्ति पिस्टल निकालकर सूचक के पीठ पर सटाकर सूचक का मोबाईल एवं पॉकेट में रखा 2560 रूपया एवं मोटर साईकिल पर रखा हुआ झोला में सरकारी कागजात सहित गाड़ी लेकर तीनों व्यक्ति सिवान की तरफ भाग गए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक की ओर से न ही कोई अग्रिम जमानत आवेदन और न ही जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय पटना में या इस न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदक के खिलाफ दो आपराधिक मामले पूर्व से पंजीकृत है और आवेदक दिनांक 05.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। सूचक के द्वारा यह मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ पंजीकृत कराया गया है और पुलिस के द्वारा आवेदक का नाम इस मामले में स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर जोड़ा गया है। आवेदक के पास से कोई भी बरामद नहीं किया गया है। आवेदक मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी गोरेयाकोठी थाना कांड सं0 15/2023, अंतर्गत धारा 392 भा0द0वि0 में पंजीकृत कराई गई है। आवेदक के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक का मोबाईल, 2560 रूपया, मोटर साईकिल एवं अन्य जरूरी कागजात छीनने का आरोप लगाया गया है जबकि आवेदक के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। कांड दैनिकी के कंडिका संख्या 81 के अनुसार आवेदक के खिलाफ पूर्व से 2 मामले

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
<u>उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी</u>
<u>B.P. No.-348/2026</u>
प्रिंस पाण्डेय उर्फ बाबा बनाम बिहार सरकार
[गोरेयाकोठी थाना कांड सं0 15/2023]

<u>22.04.2026</u>

लगातार

पंजीकृत है। प्रस्तुत मामले में अनुसंधानकर्त्ता द्वारा घटना को सत्य पाते हुए आरोप अंतर्गत धारा 392 भा0द0वि0 के तहत आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया है। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 05.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं उसके न्यायिक अभिरक्षा की अवधि एवं उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त **प्रिंस पाण्डेय उर्फ बाबा** को मो0 10,000/– रूपए के बंधपत्र एवं उतने ही राशि के दो–दो प्रतिभुओं वाले बन्ध पत्र निष्पादित किए जाने पर संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है कि एक जमानतदार अभियुक्त का निकट संबंधी होगा जो इस बात का अंडरटेकिंग देगा कि यदि आवेदक समान प्रकृति का अपराध कारित करते हैं तो वह इसकी सूचना अविलंब विद्वान विचारण न्यायालय को देगा। यदि आवेदक समान प्रकृति का अपराध कारित करते हैं और विचारण के क्रम में लगातार दो तिथियों पर बिना युक्ति–युक्त कारण के अनुपस्थित रहते हैं तो विद्वान विचारण न्यायालय को अभियुक्त/आवेदक के बंधपत्र को निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी। **साथ ही आवेदक का बंधपत्र आरोप गठन के पश्चात् स्वीकार किया जाएगा।**

लेखापित
ह0/–
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
सिवान।
दिनांक 22.04.2026

Date of Order/Judgment	22.04.2026
Date of Reserving Order/Judgment	22.04.2026
Uploading Date	23.04.2026
Uploaded By	RAVI KANT